



रजि. नं. 05/22/06/16223/22

अगस्त क्रांति मंच फाउण्डेशन



Mob. 9179335791, 9131157348 | E-Mail : augustkranti21@gmail.com

क्रमांक ६५/२५

दिनांक ३०/१२/२५

प्रति,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय
..... जिला - मऊगंज (म.प्र.)

विषय :- जिला मऊगंज अंतर्गत थाना नईगढ़ी में पदस्थ उपनिरीक्षक जगदीश सिंह ठाकुर को थाना नईगढ़ी से हटाकर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने बाबत।

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न लिखित है :-

1. यह कि जगदीश सिंह ठाकुर (उपनिरीक्षक), थाना प्रभारी नईगढ़ी द्वारा अपने पदस्थापन काल के दौरान नईगढ़ी क्षेत्र की आम जनता के साथ घोर अत्याचार किया गया है तथा पद एवं दायित्व का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से 150 से अधिक फर्जी एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं। इनके द्वारा भ्रष्टाचार एवं कानून का खुला उल्लंघन किया गया है। इन समस्त 150 से अधिक फर्जी एफ.आई.आर. में एक ही व्यक्ति अमित कुशवाहा पिता दिनेश कुशवाहा निवासी ग्राम महावीरपुर, थाना नईगढ़ी को गवाह बनाया गया है तथा थाना लौर में पदस्थ रहते हुये भी अमित कुशवाहा को ही कई एफ.आई.आर. में गवाह बनाया गया है। इसी प्रकार थाना नईगढ़ी में दारा उर्फ रमाकांत यादव पिता छोटेलाल यादव एवं अरुण तिवारी पिता गणेश तिवारी को भी 50 से ज्यादा एफ.आई.आर. में गवाह बना कर फर्जी कार्यवाहियां की गई है।
2. यह कि जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा थाना नईगढ़ी क्षेत्र में फर्जी तरीके से कार्यवाहियां करते हुए अपने निकटतम व्यक्ति अमित कुशवाहा को ही गवाह बनाकर पर्याप्त मात्रा में आर्थिक भ्रष्टाचार किया गया है तथा गलत तरीके से अवैध संपत्ति (धन) अर्जित





रजि. नं. 05/22/08/16223/22

अगस्त क्रांति मंच फाउण्डेशन

Mob. 9179335791, 9131157348 | E-Mail : augustkranti21@gmail.com



क्रमांक 30/12/25..

दिनांक 30.12.25

प्रति,

श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक महोदय,
रीवा जोन रीवा (म0प्र0)

विषय :- जिला मऊगंज अंतर्गत थाना नईगढी में पदस्थ उपनिरीक्षक जगदीश सिंह ठाकुर को थाना नईगढी से हटाकर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने बाबत।

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न लिखित है :-

1. यह कि जगदीश सिंह ठाकुर (उपनिरीक्षक), थाना प्रभारी नईगढी द्वारा अपने पदस्थापन काल के दौरान नईगढी क्षेत्र की आम जनता के साथ घोर अत्याचार किया गया है तथा पद एवं दायित्व का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से 150 से अधिक फर्जी एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं। इनके द्वारा भ्रष्टाचार एवं कानून का खुला उल्लंघन किया गया है। इन समस्त 150 से अधिक फर्जी एफ.आई.आर. में एक ही व्यक्ति अमित कुशवाहा पिता दिनेश कुशवाहा निवासी ग्राम महावीरपुर, थाना नईगढी को गवाह बनाया गया है।
2. यह कि जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा थाना नईगढी क्षेत्र में फर्जी तरीके से कार्यवाहियां करते हुए अपने निकटतम व्यक्ति अमित कुशवाहा को ही गवाह बनाकर पर्याप्त मात्रा में आर्थिक भ्रष्टाचार किया गया है तथा गलत तरीके से अवैध संपत्ति (धन) अर्जित की गई है। इस संबंध में यह जांच की जाए



P.T.O